तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27/6/2017

पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट हुरडा पर पेश हुई । वकील वादी उपस्थित हुये । प्रतिवादी सं0-1 व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे । वकील वादी ने आज लोक अदालत में उपस्थित होकर कथन किया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है । आराजीयात वादीया व प्रतिवादीया सं0-1 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है, जिसमें वादीया का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0-1 का 1/4 हक हिस्सा है और इसी हक हिस्से के अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त चले आ रहे है । आराजीयात संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की होने से आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद बना रहता है तथा वादीया को अपने हक हिस्से की भूमि को तरक्की देने में काफी कठिनाई हो रही है, इसलिए वादीया आराजीयात का माफिक हक हिस्से के अनुसार विभाजन करवाना चाहती है । अन्त में कथन किया कि दावा वादीया स्वीकार फरमाया जाकर, आराजीयात के विभाजन किये जाने के आदेश फरमाया जावें ।

मैंने वकील वादीया को सुना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है :-
पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सं0- 2070 से 2073 मौजा गुलाबपुरा-II, तहसील हुरडा के अनुसार आराजी सं0- 486 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रतिभा पत्नी निर्मल कुमार बरडिया नि0- गुलाबपुरा 3/4, जमील पिता सम्मन जाति मुसलमान सा0 सजनावा 1/4 खातेदार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है ।

यहाँ वादीया आराजीयात संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त का होने से जमीन की काश्त

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

निरन्तर—

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
करने, जमीन की कमी वेशी को लेकर आये दिन विवाद होने से माफिक हक हिस्से के अनुसार भूमि का विभाजन करवाना चाहती है, इसके विपरित प्रतिवादी सं0-1 का कोई जवाबदावा नहीं, कोई काउन्टर शपथपत्र नहीं और न ही वह आज तक अदालत में उपस्थित हुये है, ऐसी स्थिति में वादीया के वाद की स्वयंसिद्धी पुष्टि हो जाती है। साथ ही आराजी मुतनाजिया की वादीया रेकार्डड खातेदार है और खातेदार को अपने हक हिस्से की भूमि का विभाजन करवाने का पूर्ण विधिक अधिकार होने से दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।	

निर्णय

=====

दावा वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर मौजा गुलाबपुरा-II, तहसील हुरडा की आराजी नं0- 486 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा भूमि के खातेदार के मध्य उनके हक हिस्से के अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि व लगान के विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार हुरडा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार भूमि व लगान का विभाजन कर, विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करें। निर्णय आज दिनांक 27/6/17 को खुली लो0 अदालत में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

27/6/2017

तहसीलदार हुरडा के द्वारा अपने पत्रांक रावस्व/2016/ दिनांक 26/6/27 से विभाजन प्रस्ताव

निरन्तर—

डुप्ली मगजी

३/८
३/८
२८/९

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)गुलाबपुरा (भीलवाडा.)

2017/00063

—:सरवरक:—

(कायदा 129)

[General Rules (Civil), Rule 129, Appendix B Form No. 8]

13/1
16/11
14/12
13/1
8/2
1/3
8/3
26/4

1 नाम अदालत - सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

2 किस्म मुकदमा - वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा.ले.रेवे. एक्ट

3 अनवान मुकदमा

श्रीमति प्रतिभा पत्नि निकेश कुमार बरडिया निवासी गुलाबपुरा बनाम जमिल पिता सम्मन खान मुसलमान निवासी सजनाबाद

4 नम्बर व सन् मुकदमा - 1702/2016

5 तारीख दायर - 21/07/2016

6 तारीख फैसला - 27/6/2017

7 तारीख दाखिल होने मुहाफिजखाना - 13/6/21

8 अपील या निगरानी की तारीख फैसला -

9 किस्म मिसल या हिस्सा -

10 किस्म रेकार्ड -

11 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ब' तलफ करना है ______

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ब' तलफ किया गया ______

12 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ करना है ______

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'सी' तलफ किया गया ______

13 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ करना है ______

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'डी' तलफ किया गया ______

14 (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ करना है ______

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ किया गया ______

श्री फिरोज खान
श्री इकबाल मो०

श्री मो. निसार

Scanned by CamScanner